# सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

**(2022-2023)**

## सत्रहवीं लोक सभा

# 101

**एक सौ एकवां प्रतिवेदन**

**[ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब ]**

**(__.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)**

सत्यमेव जयते

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)**

## विषय सूची

**पृष्ठ सं.**


| | | |
|---|---|---|
| **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना** | | **(iii)** |
| **प्राक्कथन** | | **(v)** |
| **प्रतिवेदन** | | |
| गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब । | | 1 |
| **परिशिष्ट** | | |
| ***परिशिष्ट–एक*** | दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण | 10 |
| ***परिशिष्ट–दो*** | दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण। | 11 |
| ***परिशिष्ट–तीन*** | सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की दिनांक 21.03.2022 को हुई सातवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण | 16 |
| ***परिशिष्ट–चार*** | सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण | 19 |

## सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा की संरचना (2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - **सभापति**

**सदस्य**

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री भरत राम मारगनी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई
15. श्री अशोक कुमार यादव

**सचिवालय**

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

## प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ एकवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 के दस्तावेज निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और 21.03.2022 को हुई अपनी बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली**

**15 दिसंबर, 2022**

**24 अग्रहायण, 1944 (शक)**

**गिरीश चन्द्र**

**सभापति,**

**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

**लोक सभा**

**<u>सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)</u>**

**<u>प्रतिवेदन</u>**

**गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।**

दिनांक 16 जून, 2006 को, भारत सरकार ने आवासों और पुलिस स्टेशन भवनों के निर्माण के लिए परिव्यय को तेजी से उपयोग करने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल) के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। तत्पश्चात कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 16 नवम्बर 2007 को 10 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी और 5 करोड़ रु. की प्रदत्त पूंजी के साथ डीपीएचसीएल का गठन किया गया था। डीपीएचसीएल ने दिनांक 21.05.2008 को कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से व्यवसाय शुरु करने के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

2. समिति ने मंत्रालय से उस अधिनियम, नियम या विनियमन का उल्लेख करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत (डीपीएचसीएल),के कागजात सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि:

*“”’कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, डीपीएचसीएल की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सदनों के पटल पर रखे जा रहे हैं।””’*

3. समिति ने गृह मंत्रालय से यह भी बताने के लिए कहा कि डीपीएचसीएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने के प्रावधान और समय क्या हैं। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

*"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (1) में कहा गया है कि - "जहां केंद्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, वहां केंद्र सरकार उस कंपनी के कामकाज और कार्यों पर निम्नानुसार एक वार्षिक रिपोर्ट:-*

*क) अपनी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार करवाएगी, जिसके समक्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को धारा 143 की उप-धारा (6) के परंतुक के तहत रखा जाएगा; तथा*

*ख) तैयार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणी या पूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।*

*लोक सभा सचिवालय के दिनांक 06.09.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एलएएफईएएस सीबी-11067/17/2019-सीबी।। के अनुसार, लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद 9 महीने की अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट / लेखा परीक्षित लेखों को सदन के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है, ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में विलंब के कारण प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।''*

4. समिति द्वारा डीपीएचसीएल को वित्त पोषण के पैटर्न के प्रश्न के संबंध में, गृह मंत्रालय ने बताया है कि:-

*"'कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 16 नवंबर 2007 को 5 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ डीपीएचसीएल की स्थापना की गई थी। पिछले दस वर्षों के दौरान डीपीएचसीएल को सहायता-अनुदान या ऋण सब्सिडी के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।''"*

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा); 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों में संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित है। इस अनिवार्यता का अनुपालन करने के लिए, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आम तौर पर वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखा

परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका तो संबंधित मंत्रालय को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया जाए कि दस्तावेज सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति,लोकसभा ने दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल),के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं की जांच की, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा संसद (लोकसभा) के पटल पर रखा गया था। इन पत्रों की जांच से पता चला कि 2007-2008 के लिए डीपीएचसीएल नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज 140 महीने से अधिक की देरी से दिनांक 15.09.2020 को सदन के सभापटल पर रखे गए थे। इसके बाद भी संबंधित वर्षों अर्थात 2008-2009 से 2018-2019 के लिए अपेक्षित दस्तावेज बार-बार विलंब के साथ सभापटल पर रखे गए। इसके अलावा, डीपीएचसीएल, नई दिल्ली ने वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 27.07.2021 और 08.02.2022 को अनुमानतः 07 महीने और 01 महीने क्रमशः के विलंब से सभा पटल पर रखे हैं। डीपीएचसीएल नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तारीखों के साथ-साथ विलंब की सीमा को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

7. समिति ने पिछले दस वर्षों से 2020-2021 तक डीपीएचसीएल के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को जानना चाहा, तो गृह मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> *"'डीपीएचसीएल की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और 04 अभियंताओ की स्वीकृत तकनीकी स्टाफ के अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जानी थी। बहुत कम अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने की वजह से, वर्ष 2013 में, अन्य सरकारी विभागों से इन पदों पर प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी, इस माध्यम से नियुक्ति न हो पाने पर सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाना था। किसी भी अभियांत्रिकी विंग के नहीं होने से, डीपीएचसीएल पूर्ण रूप से*

*कार्यशील नहीं था। तदुपरांत, लोक सभा सचिवालय के दिनांक 06 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के डीपीएचसीएल के अभिलेख, विलंब विवरण के साथ लोक सभा के पटल पर दिनांक 15 सितंबर, 2020 को रखे गए थे।*

*डीपीएचसीएल की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे विलंब विवरण के साथ लोक सभा के पटल पर दिनांक 27.7.2021 को रखे गए थे। डीपीएचसीएल के अनुसार, कोविड महामारी के मद्देनजर, कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक को आयोजित करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ा दिया था। डीपीएचसीएल को सीएजी की टिप्पणियां दिनांक 30.12.2020 को प्राप्त हुई थी तथा डीपीएचसीएल की एजीएम दिनांक 31.12.2020 को आयोजित हुई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, अपेक्षित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात, डीपीएचसीएल की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे इत्यादि गृह मंत्रालय को मार्च, 2021 के आखिरी सप्ताह में जमा किए गए थे। परंतु तब तक संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए थे। उपर्युक्त के मद्देनजर, वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे इत्यादि संसद के मानसून सत्र, 2021 में लोक सभा के पटल पर रखे गए थे।*

*डीपीएचसीएल की वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे, विलंब विवरण के साथ लोक सभा के पटल पर दिनांक 08.02.2022 को रखे गए थे। डीपीएचसीएल को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के दिनांक 22.09.2021 के आदेश के तहत दिनांक 31 दिसंबर तक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए समय विस्तार मिल चुका था और डीपीएचसीएल की वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे और अन्य दस्तावेज वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पूर्व तैयार नहीं किए जा सकते थे। तथापि, समय विस्तार की स्वीकृति के लिए राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों को अनुरोध भेजा गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे इत्यादि संसद के बजट सत्र, 2022 के पहले भाग में लोक सभा के पटल पर रखे गए थे।''*

8. समिति ने गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य समय-सीमा और पिछले दस वर्षों (अर्थात 2020-2021 तक) के दौरान प्रत्येक चरण में डीपीएचसीएल द्वारा लिए गए वास्तविक समय के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा, तो उत्तर में, गृह मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जो **<u>परिशिष्ट-दो</u>** में दी गई है।

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या गृह मंत्रालय और डीपीएचसीएल ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो मंत्रालय इस विलम्ब को कैसे कम करेगा, तो गृह मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

*"'"सभी हितधारकों को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। डीपीएचसीएल की विगत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे और अन्य दस्तावेज न्यूनतम अपरिहार्य विलंब के साथ संसद के पटल पर रखे गए हैं।'"*

10. समिति ने गृह मंत्रालय और डीपीएचसीएल से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और यह भी कि क्या इस संबंध में काम की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई आंतरिक तंत्र है ताकि अंतत: लेखापरीक्षा अधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और डीपीसीएचएल से प्रासंगिक दस्तावेजों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। समिति ने गृह मंत्रालय से यह भी कहा कि वह संसद के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों को समय पर रखना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को प्रस्तुत करे। गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है कि:-

*"'"डीपीएचसीएल को समय पर प्रक्रिया को पूर्ण करने के बारे में पहले ही अवगत कराया गया है ताकि लेखा वर्ष के समापन के पश्चात निर्धारित समय-सीमा, अर्थात 9 माह की अवधि के भीतर, से पहले संसद के पटल पर डीपीएचसीएल की रिपोर्टों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सके। विगत दो वर्षों के दौरान डीपीएचसीएल की रिपोर्टें न्यूनतम अपरिहार्य विलंब के साथ संसद के पटल पर रखी गई हैं।'"*

11. गृह मंत्रालय ने बताया कि उसे डीपीएचसीएल के दस्तावेजों आदि की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने से जुड़ी किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है।

12. समिति ने लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन की सुविधा के लिए लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में भी पूछा। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है कि:-

*"'डीपीएचसीएल के अनुसार, उनके द्वारा त्वरित और समय पर संकलन के लिए टैली सॉफ्टवेयर में लेखा बहियों को रखा जा रहा है।"*

13. तत्पश्चात समिति ने गृह मंत्रालय से पूछा कि क्या वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही सीएजी के लेखा परीक्षण के समय लेखा परीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र है। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि:-

*"डीपीएचसीएल ने सूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार डीपीएचसीएल पर आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र लागू नहीं है। तथापि, सांविधिक लेखा परीक्षक और सी एंड जी द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा संबंधी प्रश्नों को कम करने के लिए लेखा बहियों को प्रॉफ़ेशनलों अर्थात सीए और सीएस द्वारा तैयार किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है।"*

14. डीपीएचसीएल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणो की आगे विस्तार से जाँच के लिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा) ने गृह मंत्रालय(एमएचए) और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल) नई दिल्ली के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि समिति के समक्ष 21 मार्च, 2022 को मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित हों।

15. मौखिक साक्ष्य के दौरान, एमएचए के प्रतिनिधि ने अत्यधिक विलंब होने की बात स्वीकार किया और उस पर खेद व्यक्त किया।

समिति को आश्वस्त करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में कि इन प्रतिवेदनों को लोक सभा में सभा पटल पर रखा जाएगा, गृह मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

*"अब, महोदय, नियमित समीक्षाएं होती हैं जो आंतरिक वित्त विभाग द्वारा की जाती हैं।*

*एक बैठक होती है और एक अनुवर्ती कार्रवाई होती है। अगर किसी संगठन ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, तो उन्हें लगातार याद दिलाया जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट जमा की जाए।*

समिति ने गृह मंत्रालय से पूछा कि उनके पास एक स्वचालित प्रणाली या एक डैशबोर्ड क्यों नहीं है जिससे अनुस्मारक भेजे जा सकते हैं और गलती करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई जा सकती है। एमएचए के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया है:-

*"महोदय, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और हम इसे निश्चित रूप से लागू करेंगे।"*

*"महोदय, हम वह सिस्टम बनाएंगे। हम आपके सुझावों पर काम करेंगे। छह महीने के अंदर हम यह कर पाएंगे।"*

## टिप्पणियां/सिफारिशें

16. समिति ने यह पाया है कि गृह मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लगभग 140 महीने की देरी से और अगले ग्यारह साल के अर्थात वर्ष 2008-2009 से 2018-2019 तक के अपेक्षित दस्तावेजों को 128 महीने से 8 महीने तक के विलंब से एक साथ सभा पटल(लोक सभा) पर रखा। समिति मंत्रालय के निवेदन को नोट करती है कि विभिन्न संगठनों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखने संबंधी वर्ष 2019 में इस सचिवालय से पत्र प्राप्त होने के बाद ही मंत्रालय ने मामले को आगे बढ़ाया और डीपीएचसीएल के वर्ष 2007-2008 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष 15.9.2020 को प्रस्तुत किया। समिति ने यह भी पाया है कि वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के लिए डीपीएचसीएल के अपेक्षित दस्तावेज भी क्रमशः 7 महीने और 1 महीने की देरी से लोकसभा के सभा पटल पर रखे गए थे। समिति एमएचए और डीपीएचसीएल दोनों के द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में हुई अत्यधिक विलंब को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और वैधानिक दायित्व का उल्लंघन मानती है। इसलिए, समिति गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करती है कि 2021-2022 से, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के आवश्यक दस्तावेजों को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए।

17. गृह मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया था कि अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब मुख्य रूप से डीपीएचसीएल में इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संगठन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। यह भी बताया गया कि इंजीनियरिंग स्टाफ की भर्ती सितंबर 2021 में की गई थी। तथापि, समिति नोट करती है कि जांचाधीन वर्षों 2008-2009 से 2012-2013 को छोड़कर, वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए समय पर दिये जा रहे थे। इसलिए, यह दर्शाता है कि लेखा परीक्षा के लिए लेखाओं को तैयार करने और प्रस्तुत करने में लगने वाले समय के बावजूद भी संगठन इन सभी वर्षों में बहुत अधिक कार्यात्मक था। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करे।

18. समिति को यह भी बताया गया कि विलंब का एक अन्य कारण, वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में हुई देरी रहा है। हालांकि, समिति ने एमएचए द्वारा दिए गए उत्तरों से नोट करती है कि दस्तावेजों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बैठकें आयोजित करने में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। समिति जानना चाहेगी कि गृह मंत्रालय ने यह अस्पष्ट जवाब क्यों दिया। समिति आगे यह भी नोट करती है कि वर्ष 2007-2008 से 2018-2019 में इन आवश्यक दस्तावेजों की मंजूरी मिलने के बाद भी डीपीएचसीएल ने उन्हें संबंधित वर्षों के दौरान संसद के समक्ष सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को नहीं भेजा। समिति, नोडल मंत्रालय को अनुमोदित दस्तावेज जमा करने के लिए डीपीएचसीएल की ओर से इस देरी के कारणों को जानना चाहेगी।

19. समिति इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करती है कि नोडल मंत्रालय, जो अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संगठनों आदि के आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ने डीपीएचसीएल के इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। समिति, नोडल मंत्रालय के इन लापरवाही के कारणों को जानना चाहती है। इसलिए, समिति, गृह मंत्रालय को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को इंगित करने के लिए एक समय सारिणी तैयार करने और संसद के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से सिफ़ारिश करती है।

20. समिति चाहती है कि गृह मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबंधित संगठनों को संवेदनशील बनाने, नियमित अनुवर्ती बैठकें करने और अनुस्मारक भेजने के अलावा, जैसा कि मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन दिया गया था एक स्वचालित डैशबोर्ड विकसित करेगा और दोषी अधिकारियों को स्वचालित अनुस्मारक भेजकर जवाबदेह बनाएगा,जो संबंधित विभिन्न संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। समिति चाहती है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से किए गए उपायों या किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के बारें में उन्हें अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति,

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोक सभा

**<u>परिशिष्ट- एक</u>**

**<u>प्रतिवेदन का पैरा 06 देखें</u>**

**दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण**

| वित्त वर्ष | वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि | वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि | विलंब की अवधि |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 31.12.2008 | 15.09.2020 | 140 माह |
| 2008-2009 | 31.12.2009 | 15.09.2020 | 128 माह |
| 2009-2010 | 31.12.2010 | 15.09.2020 | 116 माह |
| 2010-2011 | 31.12.2011 | 15.09.2020 | 104 माह |
| 2011-2012 | 31.12.2012 | 15.09.2020 | 92 माह |
| 2012-2013 | 31.12.2013 | 15.09.2020 | 80 माह |
| 2013-2014 | 31.12.2014 | 15.09.2020 | 68 माह |
| 2014-2015 | 31.12.2015 | 15.09.2020 | 56 माह |
| 2015-2016 | 31.12.2016 | 15.09.2020 | 44 माह |
| 2016-2017 | 31.12.2017 | 15.09.2020 | 32 माह |
| 2017-2018 | 31.12.2018 | 15.09.2020 | 20 माह |
| 2018-2019 | 31.12.2019 | 15.09.2020 | 08 माह |
| 2019-2020 | 31.12.2020 | 27.07.2021 | 07 माह |
| 2020-2021 | 31.12.2021 | 08.02.2022 | 01 माह |

**<u>परिशिष्ट-दो</u>**

**<u>देखिये प्रतिवेदन का पैरा 08</u>**

**दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।**

| विषय - प्रश्न | बिंदु | वर्ष 2007-08 से 2020-21 तक के वर्षों के लिए वर्ष-वार विवरण | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| (i) | लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि | 10.01.2008 | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से | स्वप्रेरणा से |
| | लेखा वर्ष के समापन के पश्चात लिया गया समय | 03 माह 28 दिन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) | सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि | 25.03.2008 | 07.08.2008 | 21.08.2009 | 20.07.2010 | 13.09.2011 | 31.07.2012 | 08.08.2013 | 31.07.2014 | 17.07.2015 | 13.07.2016 | 01.08.2017 | 03.08.2018 | 09.08.2019 | 18.08.2020 |
| | लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय | 02 माह 15 दिन | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर | समय पर |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (iii) | वार्षिक लेखों के संकलन की तिथि | 01.06.2008 | 03.08.2009 | 28.06.2010 | 01.08.2011 | 31.07.2012 | 30.07.2013 | 31.05.2014 | 30.05.2015 | 15.05.2016 | 21.05.2017 | 01.06.2018 | 28.05.2019 | 08.06.2020 | 06.06.2021 |
| | लेखा वर्ष के समापन के पश्चात लिया गया समय | 2 माह | 04 माह 03 दिन | 02 माह 02 दिन | 04 माह | 04 माह | 04 माह | 02 माह | 02 माह | 01 माह 15 दिन | 01 माह 20 दिन | 03 माह | 01 माह 28 दिन | 2 माह 8 दिन | 2 माह 6 दिन |
| (iv) | लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | 10.06.2008 | 10.08.2009 | 10.07.2010 | 08.08.2011 | 10.08.2012 | 01.08.2013 | 05.06.2014 | 30.05.2015 | 30.05.2016 | 28.05.2017 | 06.06.2017 | 02.062019 | 10.06.2020 | 10.06.2021 |
| | संबंधित लेखा वर्ष के समापन के पश्चात लिया गया समय | 10 दिन | 07 दिन | 12 दिन | 07 दिन | 10 दिन | 01 Day | 05 दिन | वहीं तारीख | 15 दिन | 08 दिन | 06 दिन | 5 दिन | 2 दिन | 4 दिन |
| (v) | सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की तिथि और अवधि | 28.07.2008<br>02 माह 28 दिन | 03.09.2009 | 28.09.2010<br>01 माह 27 दिन | 02.09.2011<br>01 माह 02 दिन | 03.09.2012<br>22 दिन | 06.09.2013<br>01 माह 06 दिन | 27.06.2014<br>01 माह 26 दिन | 10.08.2015<br>02 माह 10 दिन | 09.09.2016<br>03 माह 09 दिन | 20.09.2017<br>03 माह | 09.09.2018<br>03 माह 19 दिन | 07.08.2019<br>2 माह 28 दिन | 26.08.2020<br>2 माह 6 दिन | 24.06.2021<br>2 माह 20 दिन |
| (vi) | लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखा के समापन के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की तिथि | 01.07.2008 | 22.08.2009 | 12.07.2010 | 10.08.2011 | 12.08.2012 | 10.08.2013 | 10.06.2014 | 01.08.2015 | 05.08.2016 | 18.08.2017 | 13.06.2018 | 12.07.2019 | 25.07.2020 | 18.06.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखों को पूरा करने के बाद प्रश्न उठाने में लेखा परीक्षकों द्वारा लिया गया समय | 01 माह | 12 दिन | 02 दिन | 08 दिन | 02 दिन | 10 दिन | 05 दिन | 02 माह | 03 माह 10 दिन | 02 माह 21 दिन | 07 दिन | 01 माह 14 दिन | 01 माह 15 दिन | 8 दिन |
| (vii) | लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर की तिथि | 10.07.2008 | 24.08.2009 | 14.07.2010 | 12.08.2011 | 16.08.2012 | 14.08.2013 | 14.06.2014 | 03.08.2015 | 07.08.2016 | 23.08.2017 | 16.08.2018 | 14.07.2019 | 28.07.2020 | 20.06.2021 |
| | प्रश्नों को हल करने में लगा समय | 10 दिन | 02 दिन | 02 दिन | 02 दिन | 04 दिन | 04 दिन | 04 दिन | 03 दिन | 02 दिन | 05 दिन | 03 दिन | 2 दिन | 3 दिन | 2 दिन |
| (viii) | लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे की तिथि | 20.07.2008 | 30.08.2009 | 20.09.2010 | 28.08.2011 | 22.08.2012 | 20.08.2013 | 20.06.2014 | 07.08.2015 | 05.09.2016 | 01.09.2017 | 14.09.2018 | 04.08.2019 | 22.08.2020 | 22.06.2021 |
| | वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय | 08 दिन | 27 दिन | 06 दिन | 16 दिन | 11 दिन | 06 दिन | 06 दिन | 03 दिन | 04 दिन | 19 दिन | 05 दिन | 3 दिन | 4 दिन | 2 दिन |
| (ix) | संस्थान को अंतिम रूप से तैयार लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि | 28.07.2008 | 03.09.2009 | 28.09.2010 | 02.09.2011 | 03.09.2012 | 06.09.2013 | 27.06.2014 | 10.08.2015 | 09.09.2016 | 20.09.2017 | 19.09.2018 | 07.08.2019 | 26.08.2020 | 24.06.2021 |
| | प्रतिवेदन का मसौदा जारी होने के बाद लिया गया समय | 08 दिन | 09 दिन | 08 दिन | 04 दिन | 06 दिन | 16 दिन | 07 दिन | 03 दिन | 04 दिन | 19 दिन | 05 दिन | 3 दिन | 4 दिन | 2 दिन |
| (x) | संस्थान को अंतिम रूप से तैयार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा | 01 माह 28 दिन | 01 माह 09 दिन | 03 माह | 01 माह 02 दिन | 01 माह 03 दिन | 01 माह 03 दिन | 01 माह 26 दिन | 02 माह 10 दिन | 03 माह 24 दिन | 04 माह | 03 माह 19 दिन | 02 माह 10 दिन | 02 माह 18 दिन | 02 माह 18 दिन |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय | | | | | | | | | | | | | | |
| (xi) | वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि | 28.07.2008 | 03.09.2009 | 28.09.2010 | 02.09.2011 | 03.09.2012 | 06.09.2013 | 27.06.2014 | 10.08.2015 | 09.09.2016 | 20.09.2017 | 19.09.2018 | 07.08.2019 | 26.08.2020 | 24.06.2021 |
| | वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और साथ ही | 01 माह 28 दिन | 05 माह 09 दिन | 05 माह 28 दिन | 05 माह 02 दिन | 12 दिन | 05 माह 06 दिन | 02 माह 26 दिन | 04 माह 10 दिन | 05 माह 09 दिन | 05 माह 20 दिन | 05 माह 19 दिन | 4 माह 7 दिन | 4 माह 26 दिन | 02 माह 24 दिन |
| | अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात लिया गया समय | 01 माह 28 दिन | 05 माह 09 दिन | 05 माह 28 दिन | 05 माह 02 दिन | 12 दिन | 05 माह 06 दिन | 02 माह 26 दिन | 04 माह 10 दिन | 05 माह 09 दिन | 05 माह 20 दिन | 05 माह 19 दिन | 4 माह 7 दिन | 4 माह 26 दिन | 02 माह 24 दिन |
| (xii) | सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों के अनुमोदन की तिथि | 28.07.2008 | 03.09.2009 | 28.09.2010 | 02.09.2011 | 03.09.2012 | 06.09.2013 | 27.06.2014 | 11.08.2015 | 09.09.2016 | 20.09.2017 | 19.09.2018 | 07.08.2019 | 26.08.2020 | 24.06.2021 |
| | वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय | 08 दिन | 12 दिन | 12 दिन | 04 दिन | 12 दिन | 13दिन | 02 माह 26 दिन | 14 दिन | 04 दिन | 19 दिन | 05 दिन | 03 दिन | 04 दिन | 02 दिन |
| | अंतिम रूप से तैयार लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय | 08 दिन | 12 दिन | 12 दिन | 04 दिन | 12 दिन | 13 दिन | 02 माह 26 दिन | 14 दिन | 04 दिन | 19 दिन | 05 दिन | 03 दिन | 04 दिन | 02 दिन |
| (xiii) | दस्तावेजों का अनुवाद कराने और उनके मुद्रण कराने की तिथि | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 29.12.2021 |
| | प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगा समय | 13 वर्ष | 12 वर्ष | 11 वर्ष | 10 वर्ष | 09 वर्ष | 08 वर्ष | 07 वर्ष | 06 वर्ष | 05 वर्ष | 04 वर्ष | 03 वर्ष | 02 वर्ष | 01 वर्ष | उसी वर्ष |
| (xiv) | प्रत्येक चरण में कार्य पूरा होने के पश्चात सदन में रखे जाने के लिए दस्तावेजों को मंत्रालय | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 23.03.2021 | 31.12.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | को भेजने की तिथि | | | | | | | | | | | | | | |
| | मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में संगठन द्वारा लिया गया समय | 12 वर्ष | 11 वर्ष | 10 वर्ष | 09 वर्ष | 08 वर्ष | 07 वर्ष | 06 वर्ष | 05 वर्ष | 04 वर्ष | 03 वर्ष | 02 वर्ष | 01 वर्ष | 3 माह | उसी वर्ष |
| (xv) | दस्तावेजों को सदन में रखने की तिथि। | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 27.07.2021 | 08.02.2022 |
| | संगठन से दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात लिया गया समय। | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | लगभग 1 माह | 4 माह ** | लगभग 1 माह |

**परिशिष्ट-तीन**

## सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की दिनांक 21.03.2022 को हुई सातवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण**

समिति की बैठक सोमवार, 21 मार्च, 2022 को 15:00 बजे से 16:10 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

***उपस्थित***

**श्री रितेश पाण्डेय** - ***सभापति***

***सदस्य***

***(लोक सभा)***

1. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

***सचिवालय***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सुमन अरोड़ा | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री सुन्दर प्रसाद दास | - | निदेशक |
| 3. | श्री उत्तम चंद भारद्वाज | - | अपर निदेशक |

***साक्षी***

X X X X

(तीन) गृह मंत्रालय (गृह विभाग)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री आशुतोष अग्निहोत्री | - | संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) |
| 2. | श्री सुशील पाल | - | मुख्य लेखा नियंत्रक |
| 3. | श्री प्रवीण कुमार राय | - | निदेशक (दिल्ली और डीपी) |
| 4. | डॉ. सुनीश एस. | - | उप सचिव (गृह/वित्त) |

(चार) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली

1. श्री जसपाल सिंह - विशेष पुलिस आयुक्त और एमडी
2. श्री तुषार ताबा - संयुक्त पुलिस आयुक्त और निदेशक (ओपीएस)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3-6. X X X X

7. इसके बाद, समिति ने दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली, जो गृह मंत्रालय (गृह विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, के वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब का मामला उठाया।

*तत्पश्चात, गृह मंत्रालय और (गृह विभाग) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल),नई दिल्ली, के साक्षियों को अन्दर बुलाया गया।*

8. सभापति ने समिति की बैठक में गृह मंत्रालय (गृह विभाग) और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में भी अवगत कराया। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी बताया।

9. सभापति ने डीपीएचसीएल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष रखने में बार-बार होने वाली विलंब को इंगित किया। विभाग और डीपीएचसीएल के प्रतिनिधि ने विलंब पर खेद व्यक्त किया और बताया कि इस विलंब का कारण डीपीएचसीएल में पूरी तरह कार्यात्मक इंजीनियरिंग विंग की अनुपस्थिति; वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में विलंब, कोविड -19 थे। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में इस सब कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए गए और आश्वासन दिया कि चालू वर्ष के आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तत्पश्चात समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि दोषी अधिकारियों को स्वचालित अनुस्मारक भेजकर जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वचालित डैशबोर्ड विकसित किया जाए।

10. श्री पल्लब लोचन दास, संसद सदस्य और समिति के सदस्य ने भी मंत्रालय से पूछा कि क्या उनके पास आवश्यक दस्तावेजों की महीने-वार लेखापरीक्षा कराने के लिए कोई समय सीमा या कोई प्रणाली है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि वे सिस्टम बनाएंगे और समिति के सुझावों पर काम करेंगे।

11. सभापति ने गृह मंत्रालय (गृह विभाग) और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में उनके स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विशेष रूप से डैशबोर्ड बनाने के संबंध में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा।

*तत्पश्चात,साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।*

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

**<u>परिशिष्ट-चार</u>**

**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण**

**<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)</u>**

समिति की बैठक गुरुवार, 15 दिसंबर 2022 को 15:00 बजे से 15:50 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक-ए, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री गिरीश चन्द्र - **सभापति**

**सदस्य**

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री देवेन्द्रप्पा वाई.

**सचिवालय**

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

**X X X X X**

2. प्रारंभ में, माननीय सभापति ने समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. x x x x x

4. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन मूल प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए विचार किया :-

(i) x x x x x;

(ii) x x x x x; और

(iii) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखा सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब।

उपरोक्त प्रतिवेदनों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और समिति द्वारा अध्यक्ष को इन तीन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

5-8. x x x x x

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

---

*XX विषय से असंबंधित साक्ष्य की कार्यवाही को अलग से रखा गया है।*

***गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में अनुवादित***